

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5,

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

E-Mail : rajssamonitoring@yahoo.com फोन नं. 0141-2705490, फैक्स नं. 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / मॉनिटरिंग / योगा / 2019-20 / 1320

दिनांक :- 15.5.19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान
समस्त जिले।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले

विषय – दिनांक 21 जून 2019 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग प्रदर्शन
आयोजित करवाने के संबंध में।

सन्दर्भ – श्रीमान संयुक्त सचिव (एसएस-1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के
पत्रांक:15-1/2019-IS4 दिनांक 9 मई 2019।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रानुसार दिनांक 21.06.2019 को 5वें अन्तर्राष्ट्रीय योग
दिवस मनाया जाना है। इस क्रम में राज्य, समस्त जिला, ब्लॉक एवं समस्त पंचायत स्तर पर
21 जून 2019 को प्रातः 7.00 से 8.00 बजे तक सामूहिक योग प्रदर्शन, आयुष मंत्रालय द्वारा
संचालित CYP(Common Yoga Protocol) के अनुसार किया जाना है।

उक्तानुसार कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु विद्यार्थियों एवं युवाओं की अधिकाधिक
सहभागिता हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करें साथ ही समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी योग
कार्यक्रम में सहभागिता हेतु निर्देशित करें।

कार्यक्रम सम्पादन पश्चात कार्यक्रम की पालना रिपोर्ट मय फोटोग्राफ मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ की
ईमेल आईडी:-monitoring.rcse@gmail.com पर भिजवाई जावे।

संलग्न:–उपर्युक्तानुसार

www.rajteachers.com

15/5/19

(हरभान मीणा)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / मॉनिटरिंग / योगा / 2018-19 / 1320 दिनांक :- 15.5.19

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ।

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक(VII), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. समस्त उपायुक्त, रास्कूलशिप, जयपुर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक समस्त जिलों को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

उपर्युक्त मॉनिटरिंग